मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाज़ा, ई–5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462016

फोन : 0755–2430154, फेक्स 0755–4004137

ई–मेल-secretary@mperc.nic.in , वेबसाइट– www.mperc.in

क्रमांक / 635 / मप्रविनिआ / अ.एवं.वि / 2024 / 635 **भोपाल, दिनांक–06 / 03 / 2024**

वर्ष 2024–25 के लिए दिनांक 06.03.2024 को जारी खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषताएं

1. विद्युत कंपनियों के 3.86% की टैरिफ वृद्धि के प्रस्ताव के विरूद्ध मात्र 0.07% वृद्धि की मंजूरी।
2. निम्न दाब घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और कृषि की विद्युत दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं।
3. उच्च दाब विद्युत दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं।
4. निम्न दाब घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत–न्यूनतम प्रभार समाप्त किये गये।
5. उपभोक्ताओं को कोई मीटरिंग प्रभार नहीं देना होगा।
6. प्रदेश के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टी ओ डी (टाइम ऑफ डे) अर्थात समय अनुसार टैरिफ की घोषणा।
7. उच्च दाब उपभोक्ताओं को रात्रिकालीन उपभोग पर पूरे वर्ष विद्युत दर में 10% की छूट।
8. उच्च दाब / अति उच्च दाब उपभोक्ताओं को छूट / प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।
9. प्रीपेड उपभोक्ताओं को छूट / प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।
10. शीघ्र / ऑनलाईन भुगतान के लिए छूट /प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।
11. पावर फैक्टर / लोड फैक्टर प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।
12. हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन
    (i) प्रमाणीकरण हेतु हरित ऊर्जा टैरिफ में 42% की कमी।
    (ii) प्रमाणीकरण हेतु हरित ऊर्जा लेने के लिए न्यूनतम खपत की सीमा समाप्त।
13. विद्युत वितरण कंपनियों के लिए शोध एवं विकास (R&D) फंड की व्यवस्था – इससे तकनीकी हस्तक्षेप, संचालन दक्षता में सुधार एवं लागत में बचत का अध्ययन हो सकेगा।
14. वितरण कंपनियों को उपभोक्ता सेवाओं में बेहतरी के निर्देश – उपभोक्ता सेवा में खामी पर क्षतिपूर्ति का भुगतान होगा।

सम्पूर्ण टैरिफ आदेश आयोग की वेबसाइट (www.mperc.in) पर उपलब्ध है।

सचिव
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग